(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला सरकार द्वारा विवरण ।

[पुस्तकालय में रखीं गई । देखिए स. एल टीं 1352/90]

(II) (क) डा. गोपाल सिंह की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त पेनल द्वारा अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रतिवेदन (भाग-I और II), उस पर व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार की टिप्पणियों को दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखीं गई । देखिए स. एल टी 1334/90]

(III) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन, शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 781, दिनांक 21 अक्तूबर, 1989 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[पुस्तकालय में रखीं गई । देखिए स. एल टीं 1351/90]

Report and Accounts (1980-81 and 1981-82) of the Rajasthan State Dairy Development Corporation Limited, Jaipur and related papers

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं ।

(I) (क) वर्ष 1980–81 के लिए राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण ।

(II) (क) वर्ष 1981–82 के लिए राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण ।

II. ऊपर (I) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

[पुस्तकालय में रखीं गई ।देखिए स. एल टीं 1359/90]

Notification publishing the Rules, Edible oilseeds and Edible oils (storage Control) third Amendment orders, 1990.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामपूजन पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन, दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1990 को प्रकाशित करने वाली खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 505 (अ), दि ांक, 22 जून, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में (सभा पटल पर रखतहूं ।

[पुस्तकालय में रखीं गई । देखिए स. एल टीं 1250/90]

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to make some announcement. (*Interruption*). Let me finish my business. I have to inform the Members that the Prime Minister will make a statement regarding constitution of the National Security Council at 5.00 P.M. today. A supplementary list of business is being issued separately. Now Special Mentions. (*Interruptions*)